संख्या 70/149/41 1-2025-CN 1779909 2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक 29 जनवरी, 2025

विषय जनपद सुलतानपुर में प्राचीन हनुमान मंदिर प्रतापगंज बाजार भादा विल्ख० दूबेपुर का पर्यटन विकास कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8964/6-1-1/(423)/2023-24, दिनांक 20 जनवरी, 2025 का कृपया सन्दर्भग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद सुलतानपुर में प्राचीन हनुमान मंदिर प्रतापगंज बाजार भादा वि०ख० दूबेपुर का पर्यटन विकास कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत जनपद सुलतानपुर में प्राचीन हनुमान मंदिर प्रतापगंज बाजार भादा विख० दूबेपुर का पर्यटन विकास कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-139/आई-496459/41-1-2024-सी०एन०-1779909-2024, दिनांक 15 फरवरी, 2024 को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3 प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-139/आई-496459/41-1-2024-सी0एन0-1779909-2024, दिनांक 15 फरवरी, 2024 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 65.00 लाख (रु० पैसठ लाख मात्र) को मय ब्याज सहित 03 दिन के अन्दर राजकोष में जमा कराकर उसकी सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी, सुलतानपुर ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक पर्यटन, अयोध्या मण्डल, अयोध्या ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in